<u>रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33002/99</u>

भारत सरकार GOVERNMENT OF INDIA



एस.जी.-डी.एल.-अ.-07092022-238634 SG-DL-E-07092022-238634

असाधारण EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 411]दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 6, 2022/भाद्र 15, 1944[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 246No. 411]DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 6, 2022/BHADRA 15, 1944[N. C. T. D. No. 246

भाग IV PART IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

पुरातत्व विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 6 सितम्बर, 2022

- फा. सं. 2(25)/स्था./पुरातत्व/2017/1365.—गृह मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 13 जुलाई, 1959 की अधिसूचना सं. फा. 27/59—एचआईएम (I) के साथ पठित भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा इस सरकार की दिनांक 10 जनवरी 1980 की अधिसूचना संख्या फा. 2(29) /79/सेवा -II के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई या की जाने वाली बातों को छोड़कर, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल, पुरातत्व विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार में 'संरक्षण सहायक' के पद की भर्ती पद्धित को विनियमित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात :-
- 1. **संक्षिप्त शीर्षक एवं प्रारंभ** :- (1) इन नियमों को पुरातत्व विभाग, संरक्षण सहायक भर्ती नियमावली 2022 कहा जाएगा।
 - (2) ये दिल्ली राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से लागू होंगे।
- 2. पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर :— उक्त पद की संख्या, इनका वर्गीकरण तथा वेतन मैट्रिक्स में स्तर इन नियमों के साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम (2) से (4) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।

5968 DG/2022 (1)

- 3. भर्ती पद्धित, आयु सीमा तथा योग्यता इत्यादि :— उक्त पद की भर्ती पद्धित, आयु सीमा, योग्यताएं एवं इससे संबंधित अन्य मामलें उक्त अनुसूची के कॉलम (5) से (11) में यथाविनिर्दिष्ट होंगे।
- 4. अयोग्यता :- ऐसा कोई भी व्यक्ति
 - (क) जो किसी व्यक्ति के जीवित पति / पत्नी के होते हुए विवाह करता है या विवाह का अनुबंध करता है, या
 - (ख) जो एक जीवित पति / पत्नी के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह कर चुका है या विवाह अनुबंध कर चुका है,

वह उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

शर्त यह है कि यदि सरकार संतुष्ट है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति एवं विवाह के अन्य पक्षकार पर लागू व्यक्तिगत कानून के अंतर्गत अनुमत है और इस बात से संतुष्ट हो जाने पर कि ऐसा करने के लिये विशेष आधार है/हैं किसी भी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम के प्रवर्तन की छूट दे सकेगा।

- 5. शिथिल करने की शक्ति:—जहां सरकार का यह मत हो कि ऐसा करना आवश्यक अथवा समीचीन है, तो आदेश द्वारा तथा कारणों को अभिलेखबद्ध करते हुए सक्षम प्राधिकारी व्यक्तियों की किसी श्रेणी या वर्ग के संबंध में इन नियमों के उपबंधों में से किसी को भी शिथिल कर सकेंगे।
- 6. बचाव:— इन नियमों की किसी भी बात का भारत सरकार द्वारा इस संबंध में समय—समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़ा वर्ग, भूतपूर्व सैनिक, तथा अन्य विशेष वर्गों के व्यक्तियों के लिये उपबन्धित किये जाने के लिये आरक्षण अपेक्षित आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

अनुसूची

1.	पदनाम	:	संरक्षण सहायक
2.	पदों की संख्या	:	01* (2022)
			*इसमें परिवर्तन कार्यभार पर निर्भर है।
3.	वर्गीकरण		सामान्य केन्द्रीय सेवा अलिपिकीय अराजपत्रित,
			समूह 'ख'
4.	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	:	स्तर -6
			(35400-112400 / - रुपये)
5.	क्या चयन पद है अथवा गैर चयन पद है	:	लागू नहीं ।
6.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए	:	30 वर्ष से अधिक नहीं
	आयु सीमा		टीप –1 केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी आदेशों या अनुदेशों
			के अनुसार सरकारी कर्मचारियों के लिये 5 वर्ष तक
			शिथिलनीय।
			टीप –2 आयु सीमा निर्धारण के लिए निर्णायक तिथि
			डीएसएसएसबी द्वारा यथाविज्ञाप्ति होगी ।
7.	सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों से अपेक्षित	:	अनिवार्य :
	शैक्षिक तथा अन्य योग्यताएं		संरक्षण, परिरक्षण एवं विरासत प्रबन्धन में स्नातकोत्तर
			उपाधि ।
			अथवा
			किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से
			वास्तुशिल्पीय संरक्षण में स्नातकोत्तर उपाधि ।
			वांछनीय :
			किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में
			प्रमाणपत्र ।

			टीप 1— : अन्यथा सुयोग्य उम्मीदवारों के मामले में कारणों को लिखित में अभिलेखबद्ध करते हुए योग्यता डीएसएसएसबी /सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है। टीप —2: यदि चयन की किसी अवस्था में डीएसएसएसबी / सक्षम प्राधिकारी के अभिमत से अनुसूचित जाति या जनजातियों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले इन जातियों के उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में मिलने की संभावना नहीं है, तो अनुभव संबंधी योग्यताएं डीएसएसएसबी / सक्षम प्राधिकारी के विवेक पर शिथिलनीय है।
8.	क्या सीधी भर्ती वाले उम्मीदवारों के लिए निर्धारित शैक्षणिक योग्यता एवं आयु सीमा पदोन्नति वाले उम्मीदवारों पर भी लागू होगी।	:	आयु — लागू नहीं शैक्षणिक योग्यता — लागू नहीं
9.	परीवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	:	सीधी भर्ती वालों के लिए दो वर्ष। टीप — परीवीक्षा की पूर्णतः के लिए पुरातत्व विभाग द्वारा यथानिर्धारित प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूर्ण करना अनिवार्य होगा।
10.	भर्ती की पद्धति सीधी भर्ती द्वारा या पदोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या विलयन द्वारा विभिन्न पद्धतियों से भरे जाने वाले रिक्त पदों का प्रतिशत	:	प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) जिसके न होने पर सीधी भर्ती द्वारा ।
11.	यदि पदान्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन द्वारा भर्ती होनी हो तो ग्रेड जिनसे पदोन्नति / प्रतिनियुक्ति / विलयन किया जाना है		प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक संविदा सहित) केन्द्रीय सरकार / राज्य सरकार / संघ राज्य प्रशासन / सार्वजिनक क्षेत्र के उपक्रम / सांवधिक या स्वायत्त निकाय / मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय / मान्यता प्राप्त संस्थान के निम्निलिखत अधिकारी:— क. (1) मूल संवर्ग / विभाग मे नियमित आधार पर समरूप पदधारण करने वाले; अथवा (2) वेतन मैट्रिक्स के स्तर —5 (29200—92300 /— रू०) के पदों में नियमित आधार पर नियुक्ति के उपरांत ग्रेड में छः वर्ष की सेवा सहित अथवा मूल संवर्ग / विभाग में समकक्ष: तथा (ख) कालम ७ के अन्तर्गत सीधी भर्ती के लिये निर्धारित शैक्षिणक योग्यताएँ एवं अनुभव रखने वाले टीप — केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन / विभाग में इस नियुक्ति से तुरन्त पूर्वधारित किसी अन्य गैर संवर्ग पद में प्रतिनियुक्ति की अवधि भी सम्मिलित है, यह सामान्यतः तीन वर्षों से अधिक नहीं होगी। प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति हेतु अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्ति की अन्तिम तारीख को छप्पन (56) वर्षों से अधिक नहीं होंगी।

12.	यदि कोई विभागीय पदोन्नति समिति हो तो इसकी संरचना क्या है?	:	विभागीय स्थायीकरण समिति : 1.वित्तीय आयुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —अध्यक्ष 2. पुरातत्व विभाग का प्रशासनिक सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार — सदस्य 3. विशेष /अपर सचिव (सामान्य प्रशासन विभाग), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार —सदस्य
13.	वे परिस्थितियाँ जिनमें भर्ती के लिए संघ लोक सेवा आयोग का परामर्श लिया जाना है।	:	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक नहीं है ।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल के आदेश से और उनके नाम पर, स्वाति शर्मा, सचिव (कला, संस्कृति एवं भाषा)

DEPARTMENT OF ARCHAEOLOGY NOTIFICATION

Delhi, the 6th September, 2022

F. No. 2(25)/Estt./Archy/2017/1365.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution of India, read with Government of India, Ministry of Home Affairs notification number F.27/59-Him(i) dated the 13th July, 1959 and in supersession of this Government's Notification No. F.2(29)/79-S.II dated 10th January, 1980 except as respects things done or omitted to be done before such succession, the Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi is pleased to make the following rules regulating the method of recruitment to the post of 'Conservation Assistant' in the Department of Archaeology, Government of National Capital Territory of Delhi, namely:-

1. Short Title and Commencement :-

- (1) These rules may called the Department of Archaeology, Conservation Assistant Recruitment Rules, 2022.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Delhi Gazette.

2. Number of Posts, its classification and level in pay matrix :-

The number of the said post, its classification and level in pay matrix attached thereto shall be as specified in column (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualification etc. :-

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said post, shall be as specified in the columns (5) to (11) of the said Schedule.

4. Disqualifications:-

No person, :-

- (a) who has entered into or contracted marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax :-

Where the Government is of the opinion that it is necessary or expedient to do so, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving:-

Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Other Backward Classes, Ex-Servicemen and other special categories of persons in accordance with orders issued by Government of India from time to time, in this regard.

SCHEDULE

1.	Name of Post.	Conservation Assistant.
2.	Number of Posts.	01* (2022)
		* Subject to variation dependent on workload.
3.	Classification.	General Central Service Non Ministerial Non-
		Gazetted Group, B.
4.	Pay Level in the Pay Matrix.	Level – 6
		(Rs. 35400-112400/-).
5.	Whether Selection Post / Non-Selection	Not Applicable.
	Post.	
6.	Age limits for Direct Recruits.	Not Exceeding 30 Years.
		Note 1 : Relaxable for Government Servants up to
		five years in accordance with instructions or orders
		issued by the Central Government.
		Note 2: The crucial date for determining the age-
		limit will be as advertised by DSSSB.
7.	Educational and other qualification	Essential:
'*	required for direct recruits.	Masters degree in Conservation, Preservation and
	required for direct rectules.	Heritage Management
		or
		Masters degree in Architectural Conservation from a
		recognized University or Institute.
		Desirable:
		Certificate in Microsoft office from a recognised
		_
		Institute.
		Note 1: The qualifications are relaxable at the
		discretion of the DSSSB/Competent Authority, for
		reasons to be recorded in writing, in the case of
		candidates otherwise well qualified.
		Note 2: The qualification(s) regarding experience
		is/are relaxable at the discretion of the DSSSB/
		Competent Authority, for reasons to be recorded in
		writing in the case of candidates belonging to
		Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any
		stage of selection, the DSSSB/ Competent Authority
		is of the opinion that sufficient number of candidates
		from these communities possessing the requisite
		experience are not likely to be available to fill up the
		vacancies reserved for them.
8.	Whether age and educational	AGE : Not Applicable.
	qualification prescribed for Direct	EQ : Not Applicable.
	Recruitment will apply in the case of	
	promotees.	
9.	Period of Probation if any.	2 years for direct recruits.
		Note - Successful completion of the training
		as prescribed by the Department of
		Archaeology will be mandatory for
		completion of probation.
10.	Method of Recruitment.	Deputation (Including Short Term Contract) failing
		which by Direct Recruitment.
11.	In case of recruitment by	Deputation (ISTC):
	promotion/deputation/absorption grades	Officers from the Central Government/State
	from which	Governments/Union Territory Administrations
	promotion/deputation/absorption to be	/Public Sector Undertakings / Statutory or
<u> </u>	F	ondition of buttering of

	made.	Autonomous Bodies/Recognized
	maue.	Universities/Recognized Research Institutes:
		(a)(i) holding analogous post on regular basis in the
		parent cadre/ department;
		or
		(ii) with six years service in the grade rendered after
		appointment thereto on a regular basis in posts in
		Level-5 (Rs. 29200-92300) in the Pay Matrix or
		equivalent in the parent cadre/ department;
		AND
		(b) Possessing the educational qualifications and
		experience prescribed for DR under Column No. 7.
		Note: The period of deputation including the
		period of deputation in another ex-cadre post
		held immediately preceding this appointment
		in the same or some other
		organization/department of the Central
		Government shall ordinarily not exceed
		three years. The Maximum age limit for
		appointment by deputation shall not
		exceed56 years as on the last date of receipt
		of applications.
12.	If a Departmental Promotion Committee	Departmental Confirmation Committee :
	exists, what is its composition.	1. Financial Commissioner, Government of
	•	NCT of Delhi: Chairman.
		2. Administrative Secretary of the
		Department of Archaeology, Government of
		National Capital Territory of Delhi :
		Member.
		3. Special/Additional Secretary (GAD),
		Government of National Capital Territory of
		Delhi: Member.
13.	Circumstances in which UPSC to be	Consultation with UPSC is not necessary.
	consulted in making recruitment.	

By Order and in the Name of Lieutenant Governor of the National Capital Territory of Delhi,

SWATI SHARMA, Secy. (ACL)